(वाद सं०– 5332/4/26/2022)

18.09.2023

प्रसंगाधीन मामला **बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना** से संविदामुक्त निजी सहायक, परिवादी बाबू साहेब झा, को उक्त आयोग में संविदा के आधार पर दिनांक–1.12.2022 से लेकर दिनांक–23.06.2022 तक किये गये कार्य के मानदेय का भुगतान नहीं करने तथा बिना किसी आधार के संविदा मुक्त कर दिये जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि **बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना** के दिनांक–16.12.2020 को दिये गये आदेश के आलोक में उसका चयन आयोग कार्यालय में निजी सहायक (संविदा) के पद पर एक वर्ष के लिए अथवा उपर्युक्त पद के लिए नियुक्ति तक किया गया था। उक्त पत्र के आलोक में उसने दिनांक–18.12.2020 को आयोग के कार्यालय में अपना योगदान देकर अपना कार्य करने लगा। अचानक दिनांक–23.06.2022 को आयोग के अवर सचिव द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा उसे संविदा मुक्त कर दिया है तथा वह घर चले जाय। अपने परिवाद पत्र में परिवादी का कथन है कि आयोग में 19 माह तक कार्य करने के दौरान उसे उक्त अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और बिना किसी युक्तिसंगत आधार के संविदामुक्त कर दिया गया, जिससे वह अपने परिवार का भरण–पोषण करने में असमर्थ है।

उक्त पर सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नियोजन आदेश केशर्तो के अनुसार परिवादी को कई बार अपने पूर्व पदस्थापन कार्यालय से निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आयोग में समर्पित करने का अनुरोध किया गया, जिससे की उक्त नियोजन आदेश की कंडिका–2.4 की शर्तो के आलोक में उसके मानदेय का

निर्धारण किया जा सकें। लेकिन परिवादी की ओर से विहित पप्रत्र में अपने पूर्व पदास्थापन कार्यालय से निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आयोग का उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात् परिवादी के मानदेय के निर्धारण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य आयोग की ओर से परिवादी के मानदेय का निर्धारण करने का परामर्श दिया। तत्पश्चात् आयोग द्वारा दिनांक–23.12.2022 को परिवादी की ओर से अपने पूर्व पदस्थापन कार्यालय के अक्टूबर 2019 के सी0एफ0एम0एस0 Salary Slip के आधार पर 47808/– रूपये प्रति माह मानदेय का निर्धारण किया गया तथा उक्त के आलोक में नियमानुसार आयकर की कटौती कर परिवादी को मानदेय के भुगतान करने का निर्देश दिया गया। आयोग का कथन है कि परिवादी का नियमानुसार आयोग द्वारा संविदामुक्त किया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसे 8,82,146/– रूपये के स्थान पर मात्र 2,30,000/– रूपये का ही भुगतान किया गया है। अभी भी उसका 5,52,000/– रूपये का भुगतान लंबित है।

परिवादी के प्रत्युत्तर पर पुनः राज्य आयोग द्वारा सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना से परिवादी के प्रत्युत्तर पर उसके मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में मदवार स्पष्ट विवरणी की माँग की गई।

उक्त पर सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना द्वारा परिवादी के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में मदवार विवरणी समर्पित की गई, जिसमें उनका कथन है कि परिवादी को दिनांक–18.12.2020 से जून 2020 तक कुल 8,82,135/– रूपये मानदेय के रूप में बकाया था, जो नियमानुसार पेशाकर व आयकर की कटौती के बाद कुल 5,71,066/– रूपये का भुगतान परिवादी को कर दिया गया है।

सचिव, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से इस निर्देश के साथ प्रत्युत्तर की माँग की गई कि अगर परिवादी की ओर से सचिव, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया जायेगा, तो राज्य आयोग द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

परिवादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी सचिव, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के प्रतिवेदन से संतुष्ट है।

अब जबकि परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रतर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 41–36/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव